सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 23/14 **निर्णय दिनांकः–13–09–2019**

1. रामकिशन, मुन्शीराम, सुल्तान, बुधराम, अनरसिंह, सोहनलाल एवं चन्द्रावली पुत्र पुत्रियॉ पेमाराम जाति नायक निवासी हाल चक 14 डीकेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 01–08–2014
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितिः–

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 01–08–2014 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तहसील खाजुवाला के चक 14 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 03/62 के किला नम्बर 14 ता 17, 24 व 25 तादादी 06 बीघा, मुरब्बा नम्बर 3/15 के किला नम्बर 2 ता 4, 7 ता 9, 12, 13, 20, 24 व 25

में तादादी 11 बीघा कुल 17 बीघा भूमि बतौर भूमिहीन आवंटित की गई तथा आवंटन प्रश्चात् आवंटन पट्टा जारी कर दिया गया तथा वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। तत्पश्चात् उक्त भूमि को किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। उक्त स्थिति के बावजूद एसीसी महोदय के आदेश 392/90/602 दिनांक 27—02—1993 की पालना में चालान संख्या 5161—62 दिनांक 04—03—1993 द्वारा किश्त पेटे 12000/— व ब्याज पेटे 8820/— जमा करवाये गये। उक्त भूमि पर अपीलांट का आज दिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा उक्त खारिजी आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करने पर दिनांक 21—07—1994 को अपीलांट की अपील मंजूर करते हुए उक्त खारिजी आदेश को निरस्त कर दिया गया।

उक्त स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन वादग्रस्त भूमि गजट में प्रकाशित होने के कारण खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश रिकार्ड का अवलोकन किये पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की सम्पूर्ण किश्तें जमा करवाने के उपरान्त भी अपीलांट का खारिज किया गया है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट का आवंटन वादग्रस्त भूमि गजट में प्रकाशित होने के कारण बतौर भूमिहीन आवंटन योग्य उपलब्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। लिहाजा अपीलांट उक्त अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट को तहसील खाजुवाला के चक 14 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 03/62 के किला नम्बर 14 ता 17, 24 व 25 तादादी 06 बीघा, मुरब्बा नम्बर 3/15 के किला नम्बर 2 ता 4, 7 ता 9, 12, 13, 20, 24 व 25 में तादादी 11 बीघा कुल 17 बीघा भूमि बतौर भूमिहीन आवंटन सलाहकार समिति की राय से विधिवत रूप से आवंटित की गई थी।

उक्त आवंटित भूमि को विधि विरूद्व तरीके से खारिज करने पर उक्त खारिज आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा खारिजी आदेश को रद्द कर दिया गया। ऐसी स्थिति में आवेदक से बकाया किश्तें जमा करवाकर रकबा बहाल करना चाहिए था। परन्तु आवेदक को पूर्व में आवंटित तथा कब्जाशुदा भूमि को गजट में शामिल करना कर्मचारियों की लापरवाही को दर्शाता है। विभाग की लापरवाही तथा उक्त मनमानी कार्यवाही को छिपाने के लिये अपीलांट की दरखवाश्त को अविवेकपूर्ण तरीके से खारिज किया गया है। जबकि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी का यह दायित्व था कि वह पूर्व में हुई भूल को सुधार करते हुए सक्षम स्तर से रकबा डीनोटिफाईड करवाते तथा बकाया किश्तें जमा करवाकर आवंटन बहाल करते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस स्थिति के बचते हुए अपीलांट की दरखवाश्त को खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जो विधि सम्मत नहीं हैं

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01—08—2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को आवंटित मुरब्बा डीनोटिफाईड किया जाकर अपीलांट के पूर्व आवंटन को बहाल रखा जावे। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपीलांट को आवंटित भूमि से बेदखल नहीं किया जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13—09—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर